



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222745
CG-DL-E-26102020-222745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3378]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 26, 2020/ कार्तिक 4, 1942

No. 3378]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/ KARTIKA 4, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3809(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 536 (अ) तारीख 30 जनवरी, 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 04 फरवरी, 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हरियाणा राज्य में मेहसाना से बठिंडा पाइपलाइन (पानीपत स्परलाइन) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 14.07.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) क अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल			
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	
तहसील : इसराना			जिला : पानीपत			राज्य : हरियाणा
1	शाहपुर (अच.बी.नं 89)	2 / / 21 / 1	00	03	87	
2	इसराना (अच.बी.नं 6667)	27 / / 9 / 1	00	01	04	
3	वरद (अच.बी.नं 01)	110 / / 8 / 2	00	02	34	
		44 / / 6	00	05	98	
तहसील : मडलौडा			जिला : पानीपत			राज्य : हरियाणा
1	लोहारी (अच.बी.नं.42)	121 / / 19	00	10	00	
		80 / / 10	00	03	65	
		80 / / 1 / 2	00	04	29	
		63 / / 9	00	02	62	
		63 / / 2	00	05	02	
		21 / / 12 / 2	00	05	74	
		21 / / 12 / 1	00	01	49	
		21 / / 3	00	00	40	
		15 / / 23	00	01	48	
		15 / / 14	00	00	80	
2	वैसरी (अच.बी.नं.43)	24 / / 15 / 2	00	08	01	
3	उन्टला (अच.बी.नं.44)	18 / / 9	00	02	97	
		18 / / 2 / 2	00	04	50	
		18 / / 2 / 1	00	04	23	
		7 / / 22	00	08	80	
		7 / / 19	00	01	91	
4	महियूदीनपुर थिराना (अच.बी.नं. 9)	63 / / 15	00	15	20	
		63 / / 6	00	01	95	
		63 / / 7	00	00	40	
		63 / / 4	00	00	40	
		50 / / 25 / 2	00	00	46	
5	खंडरा	73 / / 11	00	00	40	

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		खसरा नं 50 / / 18 और 155 के बीच में	00	01	40
6	बाल जटान (अच.बी.नं. 11)	76 / / 5	00	02	70
		57 / / 25	00	13	84
		57 / / 16	00	09	49
		58 / / 20	00	04	47
		58 / / 11	00	10	38
		58 / / 10	00	12	74
		58 / / 1	00	12	37
		49 / / 21	00	14	09
		49 / / 20	00	06	07
		15 / / 16	00	04	00
		15 / / 15	00	00	30
7	बोहली	खसरा नं 183 और ड्रेन के बीच में (सरकारी – रास्ता)	00	02	70
		31 / / 25	00	00	61
		31 / / 16	00	11	45
		30 / / 20	00	10	29
		30 / / 21	00	03	14
		30 / / 22	00	03	60
		30 / / 19	00	10	02
		30 / / 18	00	07	40

[फा. सं. एल – 14014/6/2020-GP-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

S.O. 3809(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 536 (E) dated the 30 January, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 04 February, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for

the purpose of laying pipeline in State of Haryana for transportation of Natural Gas from Mehsana to Bathinda Pipeline (Panipat Spurline) by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 14.07.2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area					
			Hect	Are	Sq. Mt.			
1	2	3	4	5	6			
TEHSIL: ISRANA			DISTRICT : PANIPAT			STATE : HARYANA		
1	SHAHPUR (H.B.No 89)	2//21/1	00	03	87			
2	ISRANA (H.B.No 6667)	27//9/1	00	01	04			
3	KARAD (H.B.No 01)	110//8/2	00	02	34			
		44//6	00	05	98			
TEHSIL: MADHOULDA			DISTRICT : PANIPAT			STATE : HARYANA		
1	LOHARI (H.B No: 42)	121//19	00	10	00			
		80//10	00	03	65			
		80//1/2	00	04	29			
		63//9	00	02	62			
		63//2	00	05	02			
		21//12/2	00	05	74			

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		21//12/1	00	01	49
		21//3	00	00	40
		15//23	00	01	48
		15//14	00	00	80
2	VAISARI (H.B No: 43)	24//15/2	00	08	01
3	UNTALA (H.B No: 44)	18//9	00	02	97
		18//2/2	00	04	50
		18//2/1	00	04	23
		7//22	00	08	80
		7//19	00	01	91
4	MAHIYUDINPUR THIRANA (H.B No: 9)	63//15	00	15	20
		63//6	00	01	95
		63//7	00	00	40
		63//4	00	00	40
		50//25/2	00	00	46
5	KHANDARA	73//11	00	00	40
		In Bet Khasra No. 50//18 & 155	00	01	40
6	BAL JATAN (H.B No: 11)	76//5	00	02	70
		57//25	00	13	84
		57//16	00	09	49
		58//20	00	04	47
		58//11	00	10	38
		58//10	00	12	74
		58//1	00	12	37
		49//21	00	14	09
		49//20	00	06	07
		15//16	00	04	00
		15//15	00	00	30
7	BOHALI	In Bet Khasra No 183 & Drain (G/L - Road)	00	02	70
		31//25	00	00	61
		31//16	00	11	45
		30//20	00	10	29
		30//21	00	03	14
		30//22	00	03	60

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		30//19	00	10	02
		30//18	00	07	40

[F. No. L-14014/6/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.